23/12/25 पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप. पीठासीन अधिकारी राजकार्य में व्यस्त है पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... दिनांक 06/1/2026 ... को पेश हो

06/1/26 पत्रावली पेश हो। वकील उभयपक्ष उप। वकील उभयपक्ष की प्र.पत्र धारा 251(ए) पर बहस सुनी गई। वास्ते मौका अवलोकन एवं आदेश पत्रावली दिनांक 16/1/26 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

16/1/2026 पत्रावली पेश हो। हमारे द्वारा पटवारी हल्का के साथ मौका अवलोकन किया गया। मौके पर 1903 में किसी प्रकार का जलभराव अथवा जलनिकास नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(ए) स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखकर पत्रावली में शा. किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमान रजत यादव (आई.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 204/2023

बंशीलाल पुत्र श्री गोपाल जाति बैरवा आयु 47 वर्ष निवासी बैरवा बस्ती ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर

प्रार्थी

बनाम

1. महावीर पुत्र भूराराम जाति जाट आयु.... वर्ष निवासी ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार किशनगढ़

अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 16.01.2026

उपस्थितः वकील प्रार्थी श्री गोविन्द दास व वकील अप्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर

संक्षिप्त में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से वकील श्री गोविन्द दास ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क राज. का. अधि. 1955 के तहत पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 ग्राम बान्दरसिन्दरी के स्थायी निवासी है जिनका मुख्य पेशा कृषि कार्य का है। प्रार्थी व उसके भ्राता ओम प्रकाश के संयुक्त कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व उसके भ्राता ओम प्रकाश का 1/2 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है। जिसका नजरी नक्शा संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का अंग है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1903 की गै. मु. नहरी राजकीय भूमि स्थित है तथा उसके आगे अप्रार्थी संख्या 1 के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1902 की भूमि स्थित है उसके आगे आम रास्ता स्थित है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि मे आने–जाने का एक मात्र वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. रास्ता खसरा नम्बर 1903 व 1902 की भूमि पर स्थित है जिसे नजरी नक्शे में अंकित किया गया है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी के वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि पर आने जाने हेतु वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. रास्ते के अलावा अन्य कोई रास्ता मौके पर अवस्थित नही है। प्रार्थी अर्से दराज से वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. रास्ते का उपयोग उपभोग खसरा नम्बर 1906 पर फसल को क्राश्त करने एवं काश्त से उपज अनाज चारा को लाने व ले जाने हेतु निरन्तर करता आ रहा है जिसकी अप्रार्थी संख्या 1 को पूर्ण जानकारी है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि के पूर्व पश्चिम व उत्तर दिशा मे अन्य काश्तकारो की कृषि भूमि स्थित है। प्रार्थी अपने कब्जे काश्त खातेदारी की 1/2 हिस्सा भूमि पर वादग्रस्त ए. बी.सी.डी.ई. रास्ते से होकर माह जून 2023 में खरीफ की फसल काश्त की है। प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि पर आने–जाने के एक मात्र वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. रास्ते का राजस्व रिकार्ड व नक्शा ड्रेस मे इन्द्राज किया जाना आवश्यक है। प्रार्थी वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. भूमि पर अवस्थित रास्ते की राशि राज़कीय दर से राज्य सरकार व अप्रार्थी संख्या 1 को अदा करने हेतु तत्पर है। अप्रार्थी संख्या 2 भूमि धारक (लैण्ड होल्डर) है इस कारण उन्हे रास्ते के प्रार्थना प्रपत्र में आवश्यक पक्षकार के रूप में संयोजित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 ने दिनांक 25.7.2023 को वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. रास्ते को बन्द कर प्रार्थी को उक्त रास्ते से आने–जाने हेतु स्पष्ट रूप से इन्कार कर दिया है तो प्रार्थी ने अप्रार्थी संख्या 1 को दिनांक 25.7.2023 को ही निवेदन किया कि उसकी खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि पर आने–जाने हेतु वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. अन्य कोई मार्ग मौके पर अवस्थित नही है जिसे अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार करने से स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया और प्रार्थी के साथ अभद्र व्यवहार किया है। इस कारण प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पेश करने का कारण दिनांक 25.7.2023 को जब अप्रार्थी संख्या 1 ने वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. एक मात्र रास्ते को खसरा नम्बर 1906 की भूमि पर आने–जाने के लिए बन्द कर दिया तब माननीय न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ है जो सतत् जारी है। प्रार्थी का प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

जाकर प्रार्थी के कब्जे काश्त खातेदारी की वादग्रस्त खसरा नम्बर 1906 की भूमि पर आने–जाने हेतु री नक्शे में दर्शित वादग्रस्त ए.बी.सी.डी.ई. एक मात्र रास्ते का इन्द्राज राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) व नक्शा ट्रेस में किए जाने का आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.08.2023 को दर्ज किया गया तथा अप्रार्थीगणों की तलबी करवाई गई। अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री रामदेव गुर्जर उपस्थित हुये तथा जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र में ग्राम बान्दरसिन्दरी तहसील किशनगढ़ के खसरा नम्बर 1906 बाबत् रास्ता चाहा गया है परन्तु उक्त आराजीयात में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा ही अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है एवं 1/2 हिस्सा ओमप्रकाश पुत्र गोपाल के नाम इन्द्राज है उपरोक्त आराजीयात में केवल प्रार्थी द्वारा ही रास्ता चाहने बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया एवं ओमप्रकाश पुत्र गोपाल द्वारा रास्ता नहीं चाहा गया है इससे स्पष्ट है उपरोक्त आराजीयात में 1906 में रास्ते की आवश्यकता ही नहीं है अगर आवश्यकता होती तो निश्चित तौर पर सहखातेदार ओमप्रकाश पुत्र गोपाल जो प्रार्थी का सगे भाई द्वारा भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता। प्रार्थी केवल मात्र जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है, यह विधि का प्रतिपादित सिद्वान्त है कि "सामूहिक हित के लिये संयुक्त रूप से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है कारण कि प्रार्थी व प्रार्थी का भाई अलग आराजीयात से सदियों से अपने खेत में आ रहे है नहर/मोरी को लांघ कर आना सम्भव नहीं है चूंकि तालाब व वर्षा जल का निकास होता है एवं नहर/मोरी मौके पर छपी ढकी हुई नही है यदि नहर/मोरी से प्रार्थी को रास्ता दे दिया जाता है तो धारा 16 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का घोर उल्लघंन होगा एवं नहर/मोरी दो भागो में विभाजीत हो जायेगी जिससे पडौसी खातेदारों के खेतो में पिलाई होना एवं वर्षा का जल आना बन्द हो जायेगा। ऐसी स्थिती में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्पष्ट तौर से विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रार्थी के हस्ताक्षर शुदा नक्शा संलग्न किया गया है एवं प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में प्रार्थी द्वारा स्वयं अंकित किया गया है कि "प्रार्थी द्वारा मौके का नजरी नक्शा संलग्न है जो प्रार्थना पत्र का अंग माना जावे" प्रार्थी द्वारा नक्शे में A,b,c,d,e दर्शाया गया है जो रास्ते से connect (जुडता) हुआ नही है इस कारण नजरी नक्शे के अनुसार रास्ते का अनुतोष दिया जाता है तो रास्ते से नजरी नक्शा जोडा नहीं गया है इस कारण रास्ता नजरी नक्शा अनुसार दिया जाना कतई सम्भव नही है। मौके पर करीबन 100 फिट की नहर/मोरी है एवं नहर/मोरी को रास्ता देकर दो भागो में विभाजीत किया जाना कतई सम्भव नही है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाना सम्भव नहीं है चूंकि प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे के अनुसार रास्ता दिया जाता है तो अप्रार्थी की भूमि दो भागो में विभाजीत हो जायेगी। रास्ता हमेशा मेड़ से होते हुये दिया जाना विधि अनुसार आवश्यक है बीच में से रास्ता दिया जाता है तो काश्तकार की भूमि दो भागो में विभाजीत हो जाती है जिससे काश्तकार अपनी आराजीयात की जोत करने में काफी परेशानीयां उत्पन्न होती है एवं बाजारू कीमत भी कम हो जाती है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं भी अंकित नहीं किया गया है कि "प्रार्थी को कितने फिट के मार्ग का अनुतोष चाहा गया है वह अंकित नहीं करने से स्पष्ट सिद्ध होता है कि प्रार्थी को नहर/मोरी से व जवाबकर्ता की भूमि से रास्ता की अतिआवश्यकता नहीं है केवल सुलभमार्ग प्राप्त करने की दृष्टि से रास्ता चाहा गया है जो कतई विधि अनुसार देना सम्भव नहीं है, ऐसी स्थिती के लिये माननीय न्यायालय द्वारा पूर्व में निर्णित किये गये निर्णयों का परिपेक्ष्य निम्न प्रकार से है प्रार्थी केवल मात्र जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो कतई उचित नहीं है। यह विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि "कोई भी काश्तकार सुलभ मार्ग के आधार पर नये रास्ते का दावा नहीं कर सकता है" When alter native way is available, new way cannot be create under the garb of convenient way "वैकल्पिक मार्ग का अभाव, मार्ग की अत्यन्त आवश्यकता एवं विशेषतः नये मार्ग के मामले में अन्य खातेदार की जोत में से आवागमन हेतु सुविधाजनक उपयोग का अभाव सिद्ध होना आवश्यक है वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध होने पर सुविधाजनक उपयोग हेतु किसी अन्य खातेदार की भूमि में से रास्ता दिया जाना विधि सम्मत नहीं है। धारा 251 ए में नया रास्ता कायम करने के लिये सबसे महत्वपूर्ण बिन्दू absolute necessary - absence of alternative means of access is proved. जिसका तात्पर्य यह है कि खातेदारी में पहुंचने के लिये कहीं कोई रास्ता उपलब्ध न होना। धारा 251 ए सुविधाजनक रास्ता कायम करने का प्रावधान नहीं करती है और जब किसी काश्तकार के पास सजमतदंजपअम उमंदे वि बबमे मौजूद है तो वह इस धारा के अन्तर्गत सुविधाजनक रास्ते के नाम पर नये रास्ते की कायम की मांग नहीं कर सकता है। प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1903 किस्म गै०मु०नहरी/मोरी, एवं जबवाकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1902 किस्म नहरी/मोरी है जो प्रतिवर्ष रामसरोवर तालाब से उपरोक्त खसरा नम्बर 1903 भरा रहता है जो पिलाई/सिचाई के रूप में उपयोग में आती है एवं जवाबकर्ता

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

आराजीयात में बडे–बडे छायादार पेड़–पौधे लगा रखा है उक्त खसरा नम्बर 1903, 1902 में से प्रार्थी अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1906 में आना–जाना कतई सम्भव नही है। जो धारा 16 के तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है। उपरोक्त प्रार्थना पत्र में अंकित खसरा नम्बरान बाबत् भू–निरीक्षक एवं तहसीलदार से रास्ते बाबत् श्रीमान् न्यायालय द्वारा रिपोर्ट मंगवाने बाबत् तहरीर जारी होती है उस तहरीर में अप्रार्थी / जवाबकर्ता की आपत्तियों का अंकन करते हुये रिपोर्ट मंगवाना आवश्यक है ताकी माननीय न्यायालय को मौके व राजस्व रिकार्ड की वास्तविक रिपोर्ट प्राप्त हो सके एवं माननीय न्यायालय को न्याय, निर्णय में सुगमता रहेगी। आर०आर०टी० 2006 (2) पेज नम्बर 1161, राजस्थान सरकार बनाम ईमदाद अली व अन्य में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा अभिनिर्धारित किया है कि "धारा 16 के अन्तर्गत चारागाह/नदी/नाला /नहर/मोरी/पहाड/पठार/जलमग्न की भूमि पर खातेदारी अधिकार वर्जित है। इस प्रकार धारा 16 के तहत प्रतिबंधित भूमि आंवटन / नियमन नहीं की जा सकती है एवं गैरखातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते है तो प्रतिबंधित भूमियों में रास्ता किस प्रकार से दिया जा सकता है ? इस प्रकार प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र राजकीय भूमि के रूप में अंकित किया गया है जबकी राजकीय भूमि ना होकर राजस्व रिकार्ड एवं मौके पर गै.मु. नहर / मोरी है। जिसमें से रास्ता दिया जाना धारा 251 (ए) में कोई प्रावधान नही है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 के कथनों का जवाब इस प्रकार है कि ग्राम बान्दरसिन्दरी के खसरा नम्बर 1906 की भूमि में प्रार्थी का 1/2 हिस्सा व प्रार्थी के भाई ओमप्रकाश का 1/2 हिस्सा निहित है परन्तु प्रार्थी द्वारा ही रास्ते बावत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है चूंकि प्रार्थी केवल मात्र अप्रार्थी / जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने की नियत से अवैधानिक कृत्य करता रहता है। अगर खसरा नम्बर 1906 में जाने हेतु रास्ते की आवश्यकता होती तो निश्चित तौर से शेष 1/2 हिस्से का खातेदार भी रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता। परन्तु यहां तो केवल मात्र प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जो प्रार्थी के अवैधानिक कृत्य को दर्शित करता है। इस कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 3 के कथनो का जवाब इस प्रकार से है कि प्रार्थी द्वारा स्वयं अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया गया है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 1903 किस्म गै. मु. नहरी / मोरी, एवं जबवाकर्ता की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1902 किस्म नहरी/मोरी है जो प्रतिवर्ष रामसरोवर तालाब से उपरोक्त खसरा नम्बर 1903 भरा रहता है जो पिलाई/ सिचाई के रूप में उपयोग में आती है एवं जवाबकर्ता अपनी आराजीयात में बडे–बडे छायादार पेड़–पौधे लगा रखा है उक्त खसरा नम्बर 1903, 1902 में से प्रार्थी का अपनी आराजीयात खसरा नम्बर 1906 में आना–जाना कतई सम्भव नही है। जो धारा 16 के तहत रास्ता नहीं दिया जा सकता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 के कथन गलत है अस्वीकार है उपरोक्त प्रार्थी आराजीयात खसरा नम्बर 1902, 1903 में से होकर अपनी भूमि में कभी गया ही नहीं चूंकि उपरोक्त आराजीयात नहरी / मोरी है जो सिचाई व पिलाई के काम में आती है, एवं शेष खातेदार द्वारा रास्ते बाबत् प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है अगर प्रार्थी द्वारा नजरी नक्शे में दर्शित रास्ते की आवश्यकता या इसमें से आना–जाना होता तो शेष खातेदार भी उपरोक्त रास्ते की मांग करता परन्तु शेष खातेदार द्वारा उपरोक्त रास्ते की मांग नहीं की गयी है इस प्रकार प्रार्थी द्वारा केवल मात्र जवाबकर्ता को हैरान व परेशान करने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किय गया है जो प्रथम दृष्ट्या ही निरस्तनीय है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 5 के कथन गलत व अस्वीकार हैं। जवाबकर्ता की भूमि में मौके पर बडे–बडे छायादार पेड–पौधे लगे हुये एवं गै. मु. नहरी/मोरी में जाना सम्भव नही है प्रार्थी द्वारा झुठे व मिथ्या तथ्य अंकित करके प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। जो प्रथम दृष्ट्या ही खारीज होने योग्य है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 10 के कथन गलत है अस्वीकार है प्रार्थी को पुर्ण संज्ञान होने के बावजूद भी जानबुझ कर राजकीय भूमि अंकित किया गया है जबकी मौके पर व राजस्व रिकार्ड में गै० मु० मोरी दर्ज है जो तालाब से एवं वर्षा के जल का आवागमन हेतु उपयोग में आती है एवं गै०मु०मोरी से रास्ता दिया जामा विधि के विपरित है। जवाबकर्ता एवं प्रार्थी की भूमि के बीच 100 फिट की गै० मु०मोरी बनी हुई है जो धारा 16 के विपरीत है अब्दुल रहमान बनाम राजस्थान राज्य 2004 में प्रतिपादित किया गया है कि धारा 16 के तहत पूर्व स्थिती वापस राजस्व रिकार्ड में किया जाना आवश्यक है चाहे मौके पर खातेदारान के नाम आराजी इन्द्राज हों। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे खारीज किये जाने के आदेश प्रदान कराने की कृपा करावें।

दिनांक 08.08.2024 को तहसीलदार किशनगढ द्वारा प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपार्ट पेश की गई जिसमें उनके द्वारा जाहिर किया कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 1906 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1902, 1903 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 1906 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1902, 1903 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

कुल रकबा 0.2589 हैक्टैयर में से 111.4836 वर्ग मीटर तथा खसरा संख्या 1903 कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर में से 80 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम बान्दरसिन्दरी के खसरा संख्या 1902, 1903 की वर्तमान डी.एल.सी. दर 1685688/– रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.191.4836 वर्ग मीटर की निर्वापित दोगुना राशि 17606/– अक्षरे सतरह हजार छ सौ छ रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

हमारे द्वारा वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई एवं तहसीलदार किशनगढ की प्रस्तावित रास्ते हेतु मौका रिपोर्ट, जवाब प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार किशनगढ की मौका रिपोर्ट से ताईद है कि आवेदनकर्ता की भूमि खसरा संख्या 1906 में आवागमन हेतु अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1902, 1903 में से रास्ता चाहा गया है। खसरा संख्या 1906 में आवागमन हेतु अन्य कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है। प्रार्थी को रास्ते की अत्यधिक आवश्यकता है। प्रार्थी को आवागमन हेतु निकटतम रास्ता खसरा संख्या 1902, 1903 में से दिया जा सकता है जिसके लिये खसरा संख्या 1902 कुल रकबा 0.2589 हैक्टैयर में से 111.4836 वर्ग मीटर तथा खसरा संख्या 1903 कुल रकबा 0.0324 हैक्टेयर में से 80 वर्गमीटर भूमि अधिग्रहित की जायेगी। ग्राम बान्दरसिन्दरी के खसरा संख्या 1902, 1903 की वर्तमान डी.एल. सी. दर 1685688/– रूपये प्रति हैक्टेयर है जिसके अनुसार रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 191.4836 वर्ग मीटर की निर्वापित दोगुना राशि 17606/– अक्षरे सतरह हजार छ सौ छ रूपये होती है। उक्त रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है।

हमारे द्वारा वादग्रस्त भूमि के मौके का अवलोकन किया गया। मौके के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आवागमन के लिये अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है तथा खसरा संख्या 1903 में किसी भी प्रकार से जल भराव अथवा जलनिकास नहीं है तथा रास्ता दिया जा सकता है। अप्रार्थी की भूमि में से 20 फीट का रास्ता दिये जाने की स्थिती में प्रार्थी को अपने खातेदारी की भूमि में कृषि कार्य के आवागमन हेतु रास्ता उपलब्ध हो जायेगा, जो कि धारा 251(क) राज. का.अधि. के तहत प्रार्थीगण का विधिक अधिकार है। अतः तहसीलदार किशनगढ की अनुशंषा एवं प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना विधिपूर्ण है।

आदेश

प्रार्थना पत्र, तहसीलदार किशनगढ की रिपोर्ट एवं वकील प्रार्थी की बहस पर मनन करने के उपरान्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251(क) स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थीगण संख्या 01 व 02 की भूमि ग्राम बान्दरसिन्दरी स्थित भूमि खसरा संख्या 1902, 1903 में से 20 फीट रास्ते के अनुसार रकबा अधिग्रहित किया जावे । 20 फीट चौडाई के प्रस्तावित रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 147 वर्गमीटर (20 फीट चौडाई) भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी.एल.सी. दर 1685688/– रूपये प्रति हैक्टेयर के अनुसार ख0नं0 1902 में से रास्ते हेतु प्रस्तावित रकबा 86 वर्गमीटर एवं खसरा संख्या 1903 में से 61 वर्गमीटर भूमि हेतु निर्वापित राशि की दोगुणा राशि 49560/– अक्षरे उनचास हजार पांच सौ साठ रूपये होती है, जो प्रार्थी द्वारा, राजस्व मण्डल सिविल डिपोजीट, के मद 8443–00–103–00–00 में प्रतिभूति जमा की जायेगी। प्रार्थी को अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0147 हैक्टैयर भूमि की प्रतिभूति राशि 49560/– अक्षरे उनचास हजार पांच सौ साठ रूपये तहसीलदार किशनगढ़ के माध्यम से राजकोष में जमा कराने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार किशनगढ़ को आदेशित किया जाता है कि उक्त प्रतिभूति राशि राजकोष में जमा होने के पश्चात् उनकी रिपोर्ट क्रमांक 2024/5293 दिनांक 08.08.2024 के साथ संलग्न मौका पर्चा एवं नक्शा अनुसार रास्ता कायम कर राजस्व रिकार्ड में रकबा 147 वर्गमीटर भूमि रास्ता सिवायचक दर्ज कर राजस्व नक्शे में तरमीम करें तथा प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा राशि को अप्रार्थी संख्या 01 को नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करें। खसरा संख्या 1903 राजकीय भूमि है अतः खसरा संख्या 1903 की रास्ते में तरमीम की गई भूमि को पूर्व के राजकीय खाते में ही रखा जावे तथा रास्ते के रूप में तरमीम की गई भूमि की किस्म गै.मु. मोरी रास्ता दर्ज किया जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 16.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। प्रार्थना पत्र फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ।